कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक /जि0यो0–पेयजल/2010–11 दिनांक मार्च २५ , 2011

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/रा0यो0आ0/जि0यो0/2008 दिनांक 24.03.2008 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 397/जि0यो0 /पेयजल निगम/2010–11 दिनांक 22.03.2011 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर पेयजल निगम की घनियाल पेयजल योजना (भिकियासैण) जिसका अनुमोदन मा0प्रभारी मन्त्री जनपद अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 25.01.2011 को जिला योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत किया गया है, योंजना हेतु अनुमोदित धनराशि की सीमा **₹ 72.82 लाख (₹ बहत्तर लाख बयासी हजार मात्र)** तक की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। योजना की वित्तीय स्वीकृति कार्यालय पत्र संख्या 266/जि0यो0–पेयजल निगम/2010–11 दिनांक 10.03.2011 द्वारा प्रदान की गयी है।

1. जिलाधिकारी अल्मोड़ा सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं में उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा में बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति किये बिना आवंटित नहीं की जायेगी।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरक्षित आगणनों पर सक्षम स्तर से कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है।
5. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
6. धनराशि केवल उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिसके लिए शासन द्वारा धनावंटन किया गया है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9. योजना निर्माण के संबंध में शासन से समय–समय पर जारी सभी शर्तों एवं नियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा। अवमुक्त धनराशि को शासन द्वारा निदृष्ट मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)
आयुक्त।

संख्या २१७ /जि0यो0–पेयजल निगम/ 2010–11 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
8. मुख्य अभियन्ता (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
9. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा।
1. अधिशासी अभियन्ता (नोडल अधिकारी), निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा।
11. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय प्रकल्प शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैण।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
13. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन सचिवालय देहरादून।
15. अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा।
16. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
17. गार्ड फाईल।

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल।